

(ख) क्या इन सभी कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी तथा हिन्दी टाइपराइटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) इन सभी कार्यालयों में प्राप्त होने वाला हिन्दी के पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में भेजने की अब क्या व्यवस्था की गई है अथवा को जा रहो है ?

†[COMMUNICATIONS RECEIVED IN THE REGIONAL OFFICES OF I. & B. MINISTRY

178. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer given to Unstarred Question No. 328 in the Rajya Sabha on the 4th May, 1961 and state:

(a) what are the reasons for not sending replies in Hindi to all the communications received in Hindi in the Field Offices at Indore, Rewa, Gwalior, Bilaspur, Jabalpur and Bhopal;

(b) whether Hindi-knowing staff and Hindi typewriters are available in sufficient number in all these offices and if not, the reasons therefor; and

(c) what arrangements have now been made or are being made in all these offices to send invariably all replies in Hindi to all the communications received in Hindi?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० बी० वी० केशकर) : (क) अधिकांश मामलों में समय बचाने के लिए छपे हुए स्टैण्डर्ड फार्मों का जो कि अंग्रेजी में उपलब्ध थे, उपयोग किया गया। उन्हें हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में छपवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इन कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी तो उपलब्ध हैं परन्तु हिन्दी टाइपराइटर नहीं। प्रत्येक फील्ड यूनिट में

काम की मात्रा इतनी नहीं है कि उसे हिन्दी टाइपराइटर का दिया जाना उचित सिद्ध किया जा सके।

(ग) इन कार्यालयों को इस आशय के आवश्यक अनूदेश जारी कर दिए गये हैं कि हिन्दी के सभी पत्रों का उत्तर यथा सम्भव हिन्दी में ही दिया जाय।

†[THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. B. V. KESKAR): (a) In most cases, to save time, standard printed forms which were available in English were used. Action to print them in Hindi and other regional languages is being taken.

(b) Hindi knowing employees are available in these offices but not Hindi typewriters. The volume of work with each Field Unit does not justify the supply of a Hindi typewriter.

(c) Necessary instructions have been issued to these offices to ensure, as far as possible, that all Hindi letters are replied to in Hindi.]

योजना आयोग के कार्यालयों में हिन्दी में नोट लिखना

१७६. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अन्तर्गत ऐसे कौन कौन से कार्यालय हैं जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं ;

(ख) उक्त कार्यालयों में से (१) किन किन में फाइलें पर हिन्दी में नोट लिखने की अनुमति प्रदान कर दी गई है और (२) किन किन में नहीं और अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों को तथा हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की कमी की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†[HINDI NOTING IN THE OFFICES OF THE PLANNING COMMISSION

179. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the names of Offices under the Planning Commission which are located in Hindi-speaking areas;

(b) the names out of the aforesaid offices (i) which have been given permission for noting in Hindi on files and (ii) which have not been given such permission and the reasons for not giving such permission; and

(c) the steps that are taken to meet shortage of Hindi typewriters and Hindi-knowing employees in those offices?]

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन सभी कार्यालयों को अनुमति दे दी गई है कि वे जहां सम्भव हो फाइलों पर हिन्दी में नोट लिख सकते हैं ।

(ग) ये छोटे छोटे कार्यालय हैं ; जिनका मुख्य काम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रति वर्ष किये जाने वाले मूल्यांकन अध्ययन के लिए वांछित क्षेत्रीय आंकड़े एकत्रित करना तथा कार्यक्रम संचालन का विश्लेषण करना है । अभी इन कार्यालयों में हिन्दी में इतना काम नहीं होता जिसके लिए हिन्दी टाइपराइटर की आवश्यकता पड़े । स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है और जब आवश्यकता पड़ेगी हिन्दी टाइपराइटर मंगा दिये जायेंगे । इन कार्यालयों में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को काम

करने लायक हिन्दी का ज्ञान नहीं है उन्हें कह दिया गया है कि जहां हिन्दी सिखाओ योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध हों वहां हिन्दी सीख लें ।

विवरण

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित योजना आयोग के कार्यालय

राजस्थान :

१. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय जयपुर ।

२. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, जोधपुर ।

उत्तर प्रदेश :

३. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ ।

४. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गोरखपुर ।

५. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, मेरठ ।

६. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, उन्नाव ।

मध्य प्रदेश :

७. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, देवास

८. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बिलासपुर ।

९. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, जबलपुर बिहार :

१०. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पूसा ।

११. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गया ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF PLANNING (SHRI S. N. MISHRA): (a) A statement is attached.

(b) All these offices have been permitted to use Hindi for noting on files, where feasible.

(c) These offices are small establishments, and are primarily concerned with the collection of field data

and analysis of programme operation required for evaluation studies undertaken by Programme Evaluation Organisation each year. At this stage, the volume of Hindi work in these offices is too small to require a Hindi typewriter. The position is being watched and Hindi typewriters will be provided when needed. The employees working in these offices, who do not have a working knowledge of Hindi, have been asked to learn Hindi through the Hindi Teaching Scheme wherever such facilities are available.

STATEMENT

Offices of the Planning Commission in the Hindi-speaking regions
Rajasthan:

1. Project Evaluation Office, Jaipur
2. Project Evaluation Office, Jodhpur

Uttar Pradesh:

3. Regional Evaluation Office, Lucknow
4. Project Evaluation Office, Gorakhpur
5. Project Evaluation Office, Meerut
6. Project Evaluation Office, Unnao

Madhya Pradesh:

7. Project Evaluation Office, Dewas
8. Project Evaluation Office, Bilaspur
9. Project Evaluation Office, Jabalpur

Bihar:

10. Project Evaluation Office, Pusa
11. Project Evaluation Office, Gaya].

APPOINTMENT OF CONSULS

180. SHRI BIREN ROY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Honorary Consuls are appointed by the Ministry of External Affairs and if so, what are the criteria for these appointments; and

(b) whether suitable Indian nationals are now available to replace foreigners?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): (a) Honorary Consuls are appointed by the Ministry of External Affairs in places where there is no official Indian diplomatic or Consular Mission, with a view to rendering consular services to local people and generally looking after the interests of Indian community settled there. Initial recommendation regarding the appointment of an Honorary Consul is made by India's representative accredited to that country keeping in view the social standing, financial integrity and evidence of real and sympathetic interest in India, in the person recommended. Prime Minister's approval is obtained before these appointments are made.

(b) Out of the five Honorary Consuls-General/Consuls at present functioning, one in Djibouti (French Somaliland) is of Indian origin and is also the President of the local Indian Association. So far no suitable Indians have become available for appointment as Honorary Consuls-General/Consuls in the other four places, namely Copenhagen, Munich, Stuttgart and Athens.

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से सम्बन्धित कोड तथा मैन्युअलों का अनुवाद

१८१. श्री नवार्बसिंह चौहान : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित कितने कोड और मैन्युअल आदि अभी तक हिन्दी अनुवाद के लिये शिक्षा मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय को नहीं भेजे गये हैं और इसका क्या कारण है ; और